पुलिस सुधार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सरकार की अनुपालना: एक आंकलन

सितंबर 2020

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाला एक स्वतंत्र, गैर लाभकारी, गैर पक्षपातपूर्ण अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसके कार्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम और अक्करा, घाना में हैं और मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1987 से इस संगठन ने राष्ट्र मंडल देशों में मानवाधिकार के मुद्दों के इर्दगिर्द वकालत की, जुड़ाव बनाए रखा और संगठित किया। न्याय तक पहुंच ; (ATJ) और सूचना तक पहुंच ; (ATI) के क्षेत्रों में इसकी विशेषज्ञता व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। न्याय तक पहुंच कार्यक्रम पुलिस और कारागार सुधार पर केंद्रित है ताकि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की मनमानी में कमी आए और पारदर्शिता सुनिश्चित हो। सीएचआरआई नीतिगत हस्तक्षेपों पर निगाह रखता है जिसमें विधिक उपचार, नागरिक समाज के गठबंधन का निर्माण और हितधारकों के साथ जुड़ाव शामिल है। सूचना तक पहुंच कार्यक्रम सूचना के अधिकार और सूचना की स्वतंत्रता के कानून को सर्वत्र भौगोलिक दृष्टि से देखता है, विशिष्ट परामर्श उपलब्ध कराता है, चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है, पारदर्शिता कानूनों के व्यापक प्रयोग की प्रक्रिया और क्षमता को बढ़ाता है। हम मीडिया और मीडिया के अधिकारों पर दबावों की समीक्षा करते है जबकि छोटे राज्यों के मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और राष्ट्रमंडल सचिवालय पर दबाव बनाने के लिए नागरिक समाज की आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास करता है। एसडीजी 8.7 एक नया कार्यक्षेत्र है जिसका समर्थन, अन्वेषण ण और लामबंदी पूरे भौगोलिक क्षेत्र में दासता के समकालीन स्वरूप से निपटने के लिए बनाई गई है।

सीएचआरआई को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है और राष्ट्रमंडल परिषद से प्रमाणित है। अपनी विशेषज्ञता के लिए सरकारों, प्रबंध निकायों और नागरिक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सीएचआरआई भारत में सोसाइटी, लंदन में चैरिटी और घाना में गैर सरकारी संगठन के तौर पर पंजीकृत है।

हालांकि, 53 देशों के संघ राष्ट्रमंडल ने सदस्य देशों को साझा कानून का आधार प्रदान किया लेकिन सदस्य देशों में मानवाधिकार के मुद्दों पर विशेष ध्यान कम ही दिया गया। इसलिए 1987 में कई राष्ट्रमंडल पेशेवर संगठनों ने सीएचआरआई की स्थापना की।

सीएचआरआई अपने अनुसंधान, प्रतिबद्धता, लामबंदी,रिपोर्टों और सामयिक पड़तालों के माध्यम से अधिकार के मुद्दों पर प्रगति और असफलताओं पर ध्यान आकर्षित करता है। यह राष्ट्रमंडल सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों, मीडिया और नागरिक समाज को सम्बोधित करता है। यह सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रमों, नीतिगत चर्चा, तुलनात्मक अनुसंधान, वकालत और सूचना एवं न्याय तक पहुंच बनाने के मुद्दों पर नेटवर्किंग के लिए काम करता है और सहयोग देता है।

सीएचआरआई मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, राष्ट्रमंडल हरारे के सिद्धांतों और अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अन्य प्रपत्रों के साथ-साथ मानवाधिकारों का समर्थन करने वाले घरेलू प्रपत्रों के अनुपालन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

अंतरराष्ट्रीय परामर्श आयोग : एलिसन डक्सबरी,अध्यक्ष। सदस्य : वजाहत हबीबुल्लाह, जोअन्ना ईवर्ट-जेम्स, एडवर्ड मोर्टिमर, सैम ओकुडज़िटो और संजॉय हज़ारिका

कार्यकारी समिति (भारत) : वजाहत हबीबुल्लाह, अध्यक्ष। सदस्य : किशोर भार्गव, बी. के. चंद्रशेखर, जयंतो चौधरी, माजा दारूवाला, नितिन देसाई, कमल कुमार, मदन बी लोकुर, पूनम मुतरेजा, जैकब पुन्नूस, विनीत राय, ए. पी. शाह और संजॉय हज़ारिका

कार्यकारी समिति (घाना) : सैम ओकुडज़ेटो, अध्यक्ष। सदस्य : अकोटो एम्पा, वजाहत हबीबुल्लाह, कोफी क्वॉशिगह, जूलियट टुआकली और संजॉय हज़ारिका

कार्यकारी समिति (यू0 के0) : जोआना एवर्ट-जेम्स, अध्यक्ष। सदस्य : रिचर्ड बोर्ने, प्रलब बरुआ, टोनी फोरमैन, निवेले लिंटन, सुज़ाना लैम्बर्ट और संजॉय हज़ारिका

अंतरराष्ट्रीय निदेशक : संजॉय हज़ारिका

सीएचआरआई मुख्यालय, नई दिल्ली
55ए, तीसरा माला,
सिद्धार्थ चैम्बर्स
कालू सराय, नई दिल्ली 110017
भारत
टेलीफोन : +91 11 4318 0200,
फैक्स : +91 91-11-43180217
ई-मेल : info@humanrightsinitiative.org

सीएचआरआई लंदन
रूम न0 219
स्कूल ऑफ़ एडवांस्ड स्टडी,
साउथ ब्लाक, सिनेट हाउस
मालेट स्ट्रीट, लंदन WC1E 7HU
यूनाइटेड किंगडम
ई-मेल : london@humanrightsinitiative.org

सीएचआरआई अफ्रीका, अक्करा
हाउस न0 9, समोरा मैकल स्ट्रीट, असाइलम डाउन,
बीवरली हिल्स होटल के सामने ट्रस्ट टावर के पास,
अक्करा, घाना
टेली0/फैक्स : +233 302 971170
ई-मेल : chriafrica@humanrightsinitiative.org

©कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनीशिएटिव 2020 स्रोत को विधिवत स्वीकार करते हुए इस रिपोर्ट की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है।

अंतर्वस्तु

प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2006 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:

समग्र अनुपालन - बड़ी तस्वीर 2

राज्यों द्वारा अनुपालन

निर्देश 1: राज्य सुरक्षा आयोग 3
निर्देश 2: पुलिस महानिदेश का कार्यकाल और चयन 8
निर्देश 3: क्षत्र स्तर के अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल 13
निर्देश 4: विवेचना का कानून और व्यवस्था से पृथकीकरण 18
निर्देश 5: पुलिस स्थापना बोर्ड 20
निर्देश 6: पुलिस शिकायत प्राधिकरण 26

केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुपालन 34

पुलिस अधिनियम की स्थिति 37

चित्रों की सूची

चित्र 1: राज्य सुरक्षा आयोग के निर्देश पर राज्यों द्वारा अनुपालन की स्थिति 5
चित्र 2: पुलिस महानिदेशक के चयन और कार्यकाल पर राज्यों द्वारा अनुपालन की स्थिति 10
चित्र 3: पुलिस महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों के न्यूनतम कार्यकाल पर राज्यों अनुपालन की स्थिति 15
चित्र 4: पुलिस स्थापना बोर्ड पर राज्यों द्वारा अनुपालन की स्थिति 23
चित्र 5: पुलिस शिकायत प्राधिकरण पर राज्यों द्वारा समग्र अनुपालन 28

तालिकाओं की सूची

तालिका 1: निर्देश 1 के मामले में राज्य सुरक्षा आयोग और इसके प्रमुख मानदंडों पर राज्यवार अनुपालन 7
तालिका 2: निर्देश 2 के मामले में डीजीपी के कार्यकाल और चयन पर राज्यवार अनुपालन 11
तालिका 3: निर्देश 3 के मामले में आईजीपी और अन्य अधिकारियों के कार्यकाल पर राज्यवार अनुपालन 16
तालिका 4: निर्देश 4 के मामले में पुलिस स्थापना बोर्ड और इसके मानदंडों पर राज्यवार अनुपालन 23/24
तालिका 5: निर्देश 5 के मामले में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण पर राज्यवार अनुपालन 29
तालिका 6: निर्देश 6 के मामले में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण पर राज्यवार अनुपालन 30
तालिका 7: सभी निर्देशों के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुपालन 34

सीएचआरआई ने पुलिस सुधार[1] पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुपालन की स्थिति का निम्न मात्रात्मक मूल्यांकन विकसित किया है जो रेखांकित करता है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने या तो निर्देशों के महत्वपूर्ण विशेषताओं को सिरे से अस्वीकार, अनदेखा कर दिया है या कमज़ोर कर दिया है।

सातों निर्देश अति संक्षेप में

निर्देश एक

एक राज्य सुरक्षा आयोग (SSC) गठित किया जाएः
i. सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार पुलिस पर काई अनुचित प्रभाव या दबाव न डाले
ii. व्यापक मार्गदर्शक नीति निर्धारित करने के लिए और
iii. राज्य पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए

निर्देश दो

सुनिश्चित करें कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति योग्यता आधारित पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जाए और न्यूनतम दो वर्षों का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए

निर्देश तीन

सुनिश्चित किया जाए की क्रियाशील कर्तव्यों पर तैनात अन्य पुलिस अधिकारियों (जिसमें पुलिस अधीक्षक जिला प्रभारी, और थानाध्यक्ष पुलिस स्टेशन प्रभारी शामिल हैं) को भी न्यूनतम दो साल का कार्यकाल प्रदान किया जाए

निर्देश चार

पुलिस के लिए विवेचना और कानून व्यवस्था के पृथक कार्य

निर्देश पांच

पुलिस उपाधीक्षक और नीचे की श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, नियुक्तियों, पदोन्नतियों और सेवा समबंधी मामलों पर निर्णय लेने के लिए और पुलिस उपाधीक्षक और ऊपर की श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की नियुक्तियों और स्थानांतरण पर अनुशंसाए देने के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड (PEB) स्थापित किया जाए

निर्देश छह

गंभीर दुव्र्यवहार, जिसमें हिरासत में मौत, गंभीर चोट पहुंचाना या पुलिस हिरासत में बलात्कार के मामलों में पुलिस उपाधीक्षक और उससे ऊपर श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक शिकायतों और जिला स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक और नीचे की श्रेणी के पुलिस कर्मियों के खिलाफ गंभीर दुर्व्यवहार की सार्वजनिक शिकायतों के मामलों की राज्य स्तर पर जांच करने हेतु पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA) स्थापित किया जाए

निर्देश सात

संघ स्तर पर चयन पैनल तैयार करने और न्यूनतम दो साल के कार्यकाल के साथ केंद्रीय पुलिस संगठन (CPO) के प्रमुखों के नियोजन हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (NSC) गठित किया जाए

यह कीर्ति प्रत्येक निर्देश के लिए विशिष्ट मानदंडों के समूह के अनुपालन के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वर्गीकृत करती है। वर्गीकरण केवल कागज पर अनुपालन पर आधारित है (जैसा कि पुलिस अधिनियम या सरकार के आदेश में प्रावधान किया गया है) और धरातल पर क्रियान्वयन को सम्बोधित नहीं करता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को या तो अनुपालक, आंशिक रूप से अनुपालक या गैर अनुपालक के तौर पर चिन्हित करता है।

---

[1] प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ, 2006 (8) एसएससीआई

इस नोट का अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद श्री मसीहुद्दीन जी ने किया है जिनके साथ CHRI कई वर्षों से काम कर रही हैं। हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद अगर अनुवाद में कोई गलती या त्रुटि रह गयी हो तो वह हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अपने पाठकों से अनुरोध करते हैं कि अगर उन्हें कोई त्रुटि दिखे तो वह sangeeta@humanrightsinitiative.org पर सूचित करें।

बड़ी तस्वीर

एक भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे नहीं हैं जो सभी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करते हो। दो राज्य, आंध्र प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश आंशिक रूप से अनुपालक है। बाकी सारे राज्य गैर अनुपालक हैं। निर्देशों के अनुपालन में विफलता जाहिर करती है कि किस हद तक चुनी हुई सरकारें पूरे देश में पुलिस सुधार में बाधा बन रही हैं। पुलिस व्यवस्था को अधिक पेशेवर और जवाबदेह बनने के लिए कई तरीको से निरूपाय किया जा रहा है इसके लिए, जैसा कि निर्देश चाहते हैं, नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता है।

केवल छह राज्य ऐसे है जो अपने पुलिस प्रमुख को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करते हैं।

केवल 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अभियर्थियों की स्वतंत्र रूप से संक्षिप्त सूची बनाने का प्रावधान कर रहे हैं, बाकी तमाम जगहों पर पुलिस प्रमुखों को सरकार द्वारा अपनी पसंद चयन किया जाना जारी है।

केवल 13 राज्यों ने राजनीतिक हस्तक्षेप के बगैर राज्य के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनातियों पर पुलिस नेतृत्व को निर्णय लेने का अधिकार देने के लिए आंतरिक तंत्र की व्यवस्था करते हैं।

केवल 8 राज्यों ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरणों (PCAs) और केवल 5 ने जिला शिकायत प्राधिकरणों के लिए स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति की निष्पक्ष चयन प्रक्रियाओं को कायम रखा है।

केवल दो राज्य, राज्य सुरक्षा आयोग का प्रावधान करते है जो पुलिस की निगरानी का स्वंत्र निकाय हैं और जिसके पास बाध्यकारी अनुशंसाएं करने की शक्ति है।

सेवारत पुलिस और सरकारी अधिकारी, पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में न्यायनिर्णय करने वाले सदस्य हैं जबकि यह प्राधिकरण की सदस्यता जनता के लिए होनी चाहिए और पुलिस विभाग से स्वतंत्र होनी चाहिए।

A. राज्यों द्वारा अनुपालन

राज्य सुरक्षा आयोग

1

क. निर्देश क्या कहते हैं

राज्य सुरक्षा आयोग का उद्देश्य यह "सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकार, राज्य की पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव न डाले"। यह अपनी नीति निर्धारक भूमिका और व्यापक सदस्यता के माध्यम से राजनीतिक प्रबंधन और पुलिस के बीच मध्यवर्ती के रूप में परिकल्पित किया गया है। संक्षेप में, इस आयोग का काम यह सुनिश्चित करना है कि, राजनीतिक कार्यपालक, पुलिस पर अपना कानूनी अधिकार बनाए रखते हुए, जनता को कुशल, भेदभाव रहित और जवाबदेह पुलिस व्यवस्था उपलब्ध करायें।

संघटक	कार्य	शक्ति
एससी पर निर्णय लेने के लिए चयन हेतु न्यायालय ने तीन मॉडल का प्रावधान किया: 1) एनएचआरसी, 2) रिबेरो समिति और 3) सोराबजी समिति। सामान्य रूप से मॉडल में शामिल हैं: • अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री या गृहमंत्री • डीजीपी के रूप मे पदेन सचिव • नेता प्रतिपक्ष • प्रमुख सचिव • हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश द्वारा नामजद किए एक सेवानिवृत्त न्यायधीश • 3-5 गैर राजनीतिक स्वतंत्र सदस्य	एसएससी के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं: • व्यापक नीति के दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार करना • पुलिस के कार्य का मूल्यांकन करना • विधायिका के सामने प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट तैयार करना • मॉडल पुलिस अधिनियम 2006, जो एसएससी के पुलिस बोर्ड का आह्वान करता है, इन निकायों को एक और काम देता है - निर्धारित मानदंडों[2] के अनुसार डीजीपी के चयन के लिए पुलिस अधिकारियों की संक्षिप्त सूची तैयार करना	एसएससी की अनुशंसाएं सरकारों के लिए बाध्यकारी हैं

ख. अनुपालन के मानदंड

अनुपालन का आंकलन निम्न मानदंडों से किया गया है:

1) **राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना:** जिन राज्यों ने पुलिस अधिनियम या कार्यकारी आदेश/अधिसूचना के माध्यम से एसएससी का गठन नहीं किया उन्हे गैर अनुपालनकर्ता के रूप में चिन्हित किया जाता है।

2) **नेता प्रतिपक्ष का समावेश:** जिन राज्यों ने एसएससी गठित किया है लेकिन नेता प्रतिपक्ष को शामिल करने में विफल रहे हैं उनको गैर अनुपालकर्ता के तौर पर चिन्हित किया जाता है।

[2] धारा 48 मॉडल पुलिस अधिनियम 2006। डीजीपी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) संक्षिप्त सूची तैयार करने वाला प्राधिकरण है। मॉडल पलिस अधिनियम 2006 यूपीएससी को राज्य पुलिस बोर्ड से बदलता है।

3) **स्वतंत्र सदस्यों के चयन के लिए स्वतंत्र पैनल का समावेशः** मात्र स्वतंत्र सदस्यों का समावेश दृष्टिकोण और विशेषज्ञता की विविधता की गारंटी नहीं है। निष्पक्ष और स्वतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र सदस्यों का चयन किया जाना उतना ही महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने स्वंय कहा है कि आयोग के सदस्यों का इस तरह से चयन किया जाना चाहिए कि यह सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर कार्य करने में समर्थ हों। अगर राज्य स्वतंत्र सदस्यों के लिए स्वतंत्र चयन प्रक्रिया का समावेश करने में विफल रहते हैं तो उन्हें गैर अनुपालनकर्ता के बतौर चिन्हित किया गया है।

4) **बाध्यकारी अनुशंसाएं:** जो राज्य यह स्पष्ट करने में विफल रहते हैं कि एसएससी की अनुशंसाएं राज्य सरकार पर बाध्यकारी है उन्हें गैर अनुपालनकर्ता के रूप में चिन्हित किया गया है।

5) **वार्षिक रिपोर्ट:** जो राज्य एसएससी के लिए विधायिका के सामने प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता को शामिल करने में विफल रहते हैं उन्हें गैर अनुपालनकर्ता के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुपालन तालिका	अनुपालन	आंशिक अनुपालन	गैर अनुपालन
	सभी 5 मानदंड प्रदान किए गए	मानदंड 2, 3 और 4 प्रदान किए गए	मानदंड 2 और 4 प्रदान नहीं किए गए

ग. अनुपालन की स्थिति

चित्र 1: राज्य सुरक्षा आयोग

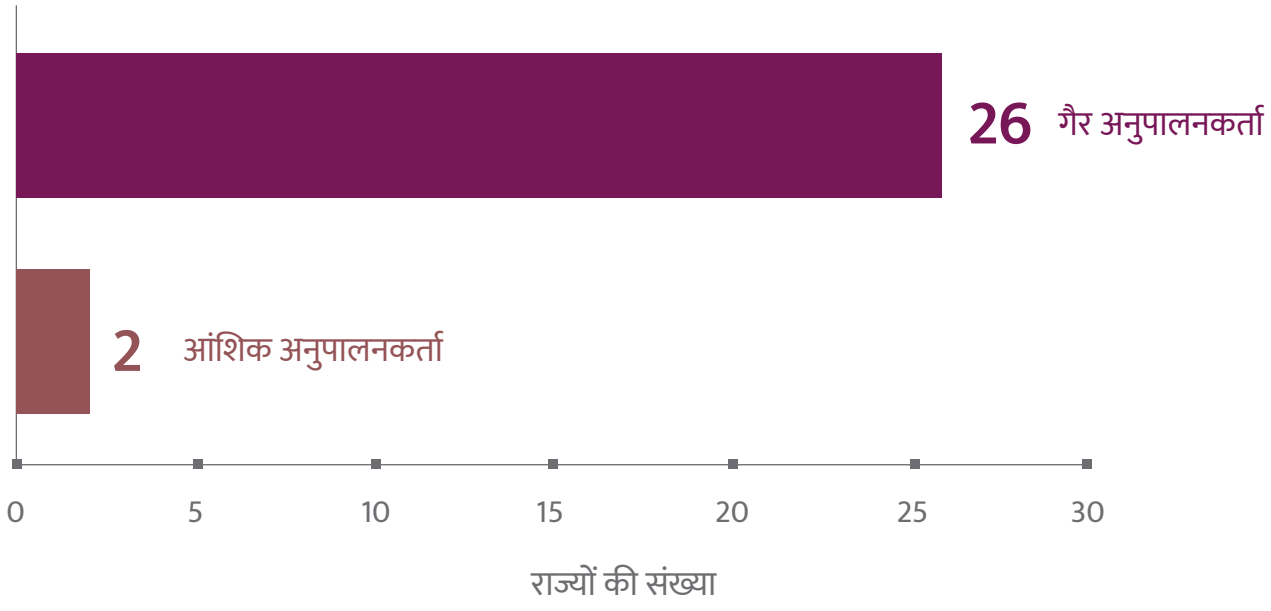

तालिका 1: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मामले में राज्य सुरक्षा आयोगों पर अनुपालन

क्रम स0	राज्य	राज्य सुरक्षा अयोग स्थापित (1)	नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया गया (2)	स्वतंत्र सदस्य (3)		अनुशंसाएं बाध्यकारी बनाई गई (4)	वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करना	समग्र अनुपालन
				सदस्यों की संख्या (3)	स्वतंत्र चयन			
1	आंध्र प्रदेश	हां	हां	5	नहीं	हां	नहीं	आंशिक
2	अरूणाचल प्रदेश	हां	हां	5	नहीं	नहीं	हां	गैर अनुपालक
3	असम	हां	नहीं	3	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
4	बिहार	हां	नहीं	0	-	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
5	छत्तीसगढ़	हां	नहीं	2	नहीं	नहीं	नहीं***	गैर अनुपालक
6	गोवा	हां	हां	0	-	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
7	गुजरात	हां	नहीं	2	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
8	हरियाणा	हां	हां	3	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
9	हिमाचल प्रदेश	हां	हां	3	हां	नहीं	हां	गैर अनुपालक
10	झारखंड	हां	हां	5	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
11	कर्नाटक	हां	हां	1	हां	हां	नहीं	गैर अनुपालक
12	केरल	हां	हां	3	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
13	मध्य प्रदेश	हां	हां	5	नहीं	नहीं	नहीं***	गैर अनुपालक
14	महाराष्ट्र	हां	हां	5	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
15	मणिपुर	हां	हां	5	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
16	मेघालय	हां	हां	2	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
17	मिज़ोरम	हां	हां	2	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
18	नागालैंड	हां	हां	3	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
19	ओडिशा	नहीं	–	–	–	–	–	गैर अनुपालक
20	पंजाब	हां	नहीं	0	–	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
21	राजस्थान	हां	हां	3	हां**	नहीं	हां	गैर अनुपालक
22	सिक्किम	हां	हां	3	हां	नहीं	हां	गैर अनुपालक
23	तमिल नाडु	हां	हां	0	–	नहीं	हां	गैर अनुपालक
24	तेलंगाना	नहीं	–	–	–	–	–	गैर अनुपालक
25	त्रिपुरा	हां	नहीं	2	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
26	उत्तर प्रदेश	हां	हां	5	नहीं	नहीं	हां	गैर अनुपालक
27	उत्तराखंड	हां	हां	1	हां	नहीं	हां	गैर अनुपालक
28	पश्चिम बंगाल	हां	हां	3	नहीं	नहीं	हां	गैर अनुपालक
कुल योग		**26**	**20**		**5**	**2**	**8**	**किसी राज्य ने पालन नहीं किया**

* जहां एसएससी की अनुशंसाओं को निरस्त करने हेतु सरकारों को आधार प्रदान किया गया है, इसे न्यायालय के निर्देशों की अवज्ञा के तौर पर लिया गया है।

** स्वतंत्र सदस्यों के चयन के लिए समिति में मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, गृहमंत्री और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष शामिल हैं।

*** छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य है, जहाँ एसएससी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बाध्य है, लेकिन विधायिका के समक्ष पेश करना अनिवार्य नहीं

प्रमुख टिप्पणियां

• 28 में से 26 राज्यों ने पुलिस अधिनियम या सरकारी आदेशों के माध्यम से एसएससी गठित की है। तेलंगाना और ओडिशा मात्र दो ऐसे राज्य है जिन्होंने कागज़ पर भी राज्य सुरक्षा आयोग स्थापित नहीं किया है।

• 26 में से 6 राज्य - असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब और त्रिपुरा - एसएससी में नेता प्रतिपक्ष को शामिल नहीं करते हैं।

• 17 राज्य - आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, छत्तीसगढ, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय[3] और मिज़ोरम - एसएससी में स्वतंत्र सदस्यों[4] को शामिल तो करते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति के लिए स्वतंत्र चयन पैनल प्रदान नहीं करते।

• बिहार, गोवा, तमिलनाडु और पंजाब के एसएससी स्वतंत्र सदस्यों को बिल्कुल भी शामिल नहीं करते हैं। वास्तव में, बिहार राज्य पुलिस बोर्ड मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तीन सदस्यीय निकाय है और गृहमंत्री और पुलिस महानिदेशक सदस्यों के रूप में हैं।

• आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मात्र ऐसे राज्य हैं जो एसएससी की अनुशंसाओं को बाध्यकारी बनाते हैं। अन्य राज्य या तो बाध्यकारी अनुशंसाओं पर कोई प्रावधान शामिल नहीं करते हैं या उसे व्यापक नियमों के अधीन बनाते हैं जैसे" केवल जहां तक संभव है "(मेघालय और हिमाचल प्रदेश), या "जब तक सरकार प्राधिकरण के निष्कर्षों से असहमति का निर्णय लेती है" (दिल्ली)। एसएससी की अनुशंसाओं के समबंध में सरकारों पर बाध्यकारी होने की स्पष्ट अभिव्यक्ति की अनुपस्थिति इस निकाय को कमज़ोर बनाती है और इसकी भूमिका को नीति निर्माण, जैसा कि न्यायालय का अभिप्राय था, के बजाय मात्र परामर्शी होने तक सीमित कर देती है।

• 8 राज्य - अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल - वार्षिक रिपोट तैयार करने और राज्य विधायिका के सामने प्रस्तुत करने का अनुपालन करते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसएससी की जरूरत होती है लेकिन विधायिका के समक्ष पेश करना अनिवार्य नहीं समझा जाता है।

• एसएससी की रूपरेखा तैयार करते हुए, महाराष्ट्र और राजस्थान सामाजिक समावेश प्रदर्शित करने के प्रयास हेतु सबसे अलग हैं। महाराष्ट्र एसएससी के गैर सरकारी सदस्यों में कम से कम एक महिला और पिछड़े वर्ग के एक सदस्य (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर अधिसूचित जन जातियों, घुमंतू जन जातियों, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के शामिल करने के बतौर परिभाषित) के प्रतिनिधित्व को आवश्यक मानता है; जबकि राजस्थान "कमज़ोर वर्गों" से एक सदस्य को शामिल करना आवश्यक बनाता है।

---

[2] जबकि मेघालय में एक यचन पैनल है, इसमें मुखमंत्री और प्रधान सचिव (गृह) शामिल हैं जिनमें दोनों एसएससी के सदस्य हैं। यह हित का टकराव और राजनतिक कार्यकारी द्वारा अत्याधिक नियंत्रण है और गैर अनुपालन के तौर पर चिन्हित किया गया है।

[3] तमिलनाडु में "स्वतंत्र" सदस्य सबके सब पदेन सदस्य हैं जो विभिन्न राज्य आयोगों के अध्यक्ष हैं। यह न्यायालय की परियोजना के बाहर और एसएससी की कुशलता को निरपवाद रूप से प्रभावित करेगा। वैधानिक निकायों के अध्यक्षों के पास पूर्णकालिक प्रभार होता है और एसएससी के लिए अपनी भूमिका के लिए वांछित समय अर्पित कर पाने में समर्थ नहीं होंगे। यह गैर अनुपालन के बतौर चिन्हित किया गया है।

पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यकाल और चयन

2

क. निर्देश क्या कहते हैं

डीजीपी का चयन संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के द्वारा इस पद के लिए तैयार पैनल में शामिल तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से किया जाना चाहिए। चयन अभियर्थियों के इन मापदंडों के आधार पर किया जाएगा : (i) सेवा की अवधि, (iii) सेवा का रिकार्ड, और (iii) अनुभव की श्रेणी।

डीजीपी का कार्यकाल सेवा निवृत्ति की तिथि की परवाह किए बिना कम से कम दो साल का होना चाहिए। हालांकि, राज्य सुरक्षा आयोग के परामर्श से काम करते हुए, इन तर्कों के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा डीजीपी को पद मुक्त किया जा सकता हैः (i) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियमों के तहत कार्यवाही की गई; या (ii) किसी अपराधिक हिंसा या भ्रष्टाचार के मामल में किसी अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद; या (iii) अगर वह किसी प्रकार से अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में अक्षम रहता है।

ख. अनुपालन के मानदंड

अनुपालन का आंकलन निम्न मानदंडों के आधार पर किया गया है।

1) **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा सूची का संक्षिप्तीकरणः** अगर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सेवा की अवधि, सेवा के रिकार्ड, और अनुभव के क्षेत्र के आधार पर यूपीएससी के संक्षिप्त सूची तैयार करने की आवश्यकता का स्पष्ट विवरण नहीं देते हैं तो उनको गैर अनुपालक के रूप में चिन्हित किया गया है।

2) **कार्यकालः** राज्यों को गैर अनुपालक के तौर पर चिन्हित किया गया है जब a) कम से कम दो साल का कार्यकाल प्रदान नहीं किया गया है; और b) कार्यकाल को सेवा निवृत्ति की 'परवाह किए बिना' के बजाए 'के अधीन' बनाया गया है।

3) **निष्कासन के लिए आधार:** राज्यों को गैर अनुपालक के तौर पर चिन्हित किया जाता है अगर वे स्पष्ट रूप से निष्कासन के आधारों को निर्धारित नहीं करते हैं जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है।

अनुपालन तालिका	अनुपालन	आंशिक अनुपालन	गैर अनुपालन
	सभी 3 मानदंड प्रदान किए गए	मानदंड 1 और 2 प्रदान किए गए	मानदंड 1 और 2 प्रदान नहीं किए गए

ग. अनुपालन की स्थिति

चित्र 2: पुलिस महानिदेशक का चयन और कार्यकाल

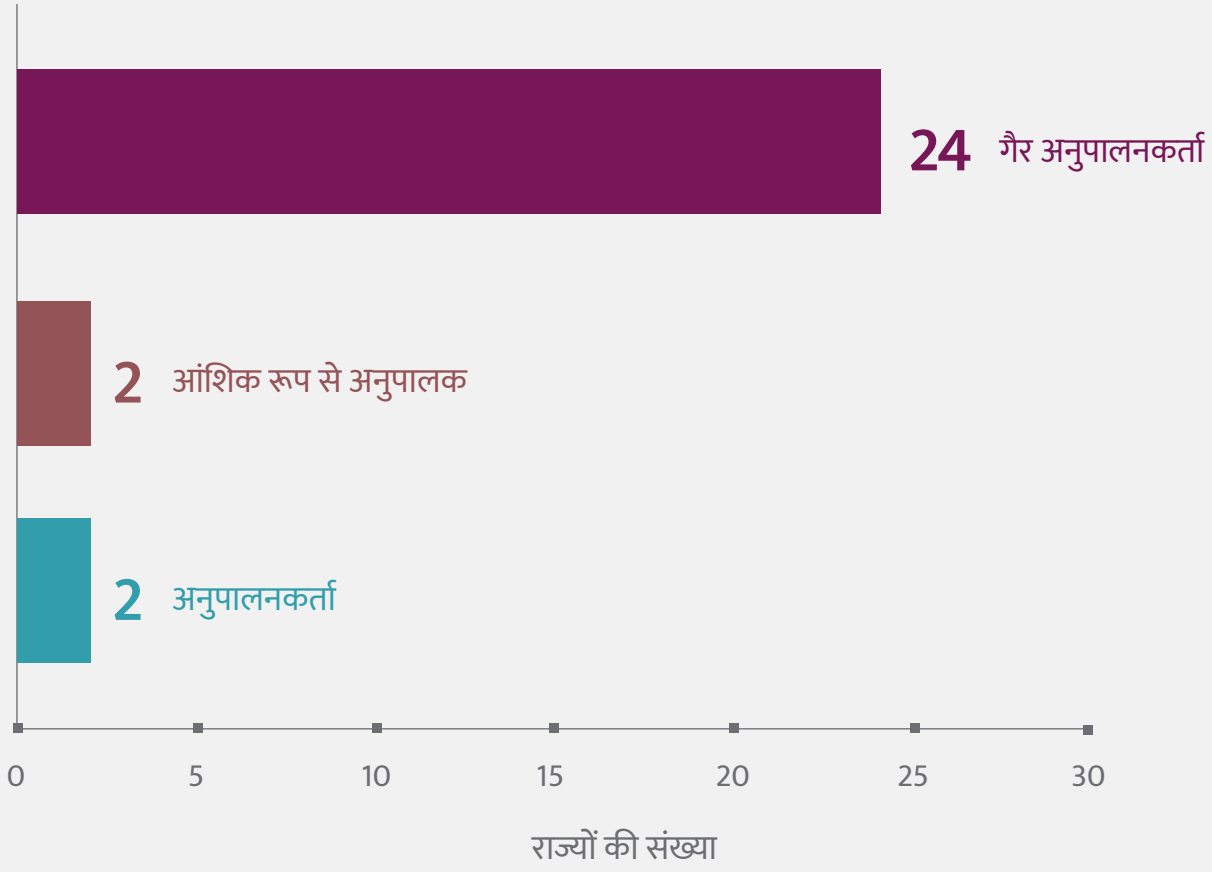

केवल अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जो निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हैं।

तालिका 2: डीजीपी के चयन और कार्यकाल के अनुपालन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

क्रम स0	राज्य	यूपीएससी द्वारा सूची का संक्षिप्तीकरण (1)	न्यूनतम कार्यकाल (2)	समयपूर्व निष्कासन (3)	समग्र अनुपालन
1	आंध्र प्रदेश	हां	हां	नहीं	आंशिक
2	अरूणाचल प्रदेश	हां	हां	हां	अनुपालक
3	असम	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
4	बिहार	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
5	छत्तीसगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
6	गोवा	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
7	गुजरात	नहीं	नहीं	हां	गैर अनुपालक
8	हरियाणा	नहीं	नहीं	हां	गैर अनुपालक
9	हिमाचल प्रदेश	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
10	झारखंड	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
11	कर्नाटक	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
12	केरल	नहीं	नहीं	हां	गैर अनुपालक
13	मध्य प्रदेश	नहीं	हां	हां	गैर अनुपालक
14	महाराष्ट्र	नहीं	नहीं	हां	गैर अनुपालक
15	मणिपुर	हां	नहीं	हां	गैर अनुपालक
16	मेघालय	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
17	मिज़ोरम	नहीं	नहीं	हां	गैर अनुपालक
18	नागालैंड	हां	हां	हां	अनुपालक
19	ओडिशा	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
20	पंजाब	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
21	राजस्थान	नहीं	हां	नहीं	गैर अनुपालक
22	सिक्किम	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
23	तमिल नाडु	हां	हां	नहीं	आंशिक
24	तेलंगाना	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
25	त्रिपुरा	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
26	उत्तर प्रदेश	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
27	उत्तराखंड	नहीं	नहीं	हां	गैर अनुपालक
28	पश्चिम बंगाल	नहीं	नहीं	हां	गैर अनुपालक
कुल योग		**5**	**6**	**10**	**दो राज्य अनुपालक**

प्रमुख टिप्पणियां

• केवल **अरूणाचल प्रदेश** और **नागालैंड** ऐसे राज्य हैं जो निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हैं।

• **23 राज्य** - असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिज़ोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल - यूपीएससी द्वारा सूची संक्षिप्तीकरण को नज़रअंदाज करते हैं और डीजीपी के पद के चयन के लिए राज्य सरकारों को पूरा अधिकार देते हैं।

• **केवल 5 राज्य** - आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश[5], मणिपुर, नागालैंड और तमिलनाडु- यूपीएससी[6] द्वारा सूची संक्षिप्तीकरण शामिल करते हैं।

• **5 राज्यों में** - असम, झारखंड, कर्नाटक, मेघालय और मिज़ोरम - डीजीपी पद के अभियर्थियों के लिए सुची संक्षिप्तीकरण की जिम्मेदारी एसएससी की है। सीएचआरआई इन राज्यों को गैर अनुपालक[7] चिन्हित करता है।

• **केवल 6 राज्य** - आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु, और राजस्थान न्यूनतम 2 साल का कार्यकाल प्रदान करते हैं।

• **2 राज्य** - हरियाणा और मेघालय - 1 साल का कार्यकाल प्रदान करते हैं

• **13 राज्य** कार्यकाल को सेवा निवृत्ति के अधीन बनाते हैं।

• **10 राज्यों** - अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और उत्तराखंड - ने निष्कासन के लिए ऐसे आधार तैयार किए हैं जो निर्देशों के अनुरूप हैं।

• **16 राज्य** - आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ[8], हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, मिज़ोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड - समयपूर्व निष्कासन के लिए समस्यात्मक प्रावधान करते हैं जैसे "अन्य प्रशासनिक कारणों से, जिसे लिखित रिकार्ड किया जाना है" या "जनहित में"। इनकी व्याख्या कई तरीके से की जा सकती है और गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।

• **18 राज्य** - आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिज़ोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, और त्रिपुरा - डीजीपी को निष्कासित करने के निर्णय में एसएससी से परामर्श के प्रावधान को शामिल नहीं करते।

---

[5] एमएचए द्वारा जारी एक नई अधिसूचना द्वारा निर्धारित कार्यविधि का पालन किया जाता है। डीजीपी के पद के लिए यूपीएससी सूची संक्षिप्तीकृत करती है और एमएचए अंतिम निर्णय लेता है। कार्यविधि सभी एजीएपयूटी (अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम और केंद्र शासित प्रदेशों) पर लागू होती है। अरूणाचल प्रदेश इकलौता राज्य जो इसका अनुपालन करता है।

[6] छत्तीसगढ़ में पैनल बनाने का काम अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अंतर्गत एक समिति द्वारा किया जाता है। इसे गैर अनुपालक के तौर पर चिन्हित किया गया है क्योंकि यूपीएससी का कोई उल्लेख नहीं है।

[7] जिन राज्यों में सूची संक्षिप्तीकरण की भूमिका एसएससी को सौंप दी गई है, हम इसे गैर अनुपालन के रूप में देखते हैं। हमारे विचार में एसएससी में मुख्यमंत्री की सदस्यता की वजह से इस प्रणाली की निष्पक्षता पे असर पड़ सकता है।

[8] छत्तीसगढ़ निर्धारित करता है कि निष्कासन उसके अपने निवेदन पर किया जा सकता है या किसी प्रशासनिक संकटकाल की स्थिति में जिसे लिखित में रिकार्ड किया जाए।

प्रमुख क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों का कार्यकाल

3

क. निर्देश क्या कहते हैं

पुलिस महानिरीक्षक (मंडल प्रभारी), पुलिस उप महानिरीक्षक (रेंज प्रभारी), पुलिस अधीक्षक (प्रभारी जिला) और थानाध्यक्ष (पुलिस स्टेशन प्रभारी), के लिए निर्देश न्यूनतम दो साल के कार्यकाल का प्रावधान करते हैं। क्षेत्र में प्रमुख क्रियाशील पदों पर कार्यरत पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल को सुरक्षित रखने को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। तय कार्यकाल को अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप से रक्षा करनी चाहिए और अपने कार्यक्षेत्र को को ठीक से समझने और अपने काम के प्रति न्याय करने के लिए आवश्यक समय भी देना चाहिए। न्यायालय अपेक्षा करता है कि कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी भी कर्मी का समयपूर्व निष्कासन केवल विशिष्ट कारणों से ही किया जा सकता है जिसमें, अनुशासनात्मक कार्यवाही, या किसी अपराधिक हिंसा या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया जाना, या अगर अधिकारी किसी तरह से अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में अक्षम है, शामिल हैं।

ख. अनुपालन के मानदंड

अनुपालन का आंकलन निम्न मानदंडों के आधार पर किया गया है:

1) **न्यूनतम कार्यकाल दो साल:** राज्यों को गैर अनुपालक के रूप में चिन्हित किया गया है अगर वे क्रियाशील कर्तव्यों पर तैनात पुलिस अधिकारियों को न्यूनतम दो साल के कार्यकाल की गारंटी देने में विफल रहते हैं।

2) **निष्कासन के आधार:** उन राज्यों को गैर अनुपालक के रूप में चिन्हित किया गया है जहां न्यूनतम दो साल के कार्यकाल की गारंटी देने के बावजदू समयपूर्व निष्कासन की अनुमति देने के लिए बहुत व्यापक आधार तय किए गए हैं।

अनुपालन तालिका	अनुपालन	आंशिक अनुपालन	गैर अनुपालन
	दोनों मानदंड अनुपालक हैं	अप्रायोज्य	दोनों में से एक मानदंड गैर अनुपालक है।

ग. अनुपालन की स्थिति

चित्र 3: प्रमुख क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों के न्यूनतम कार्यकाल

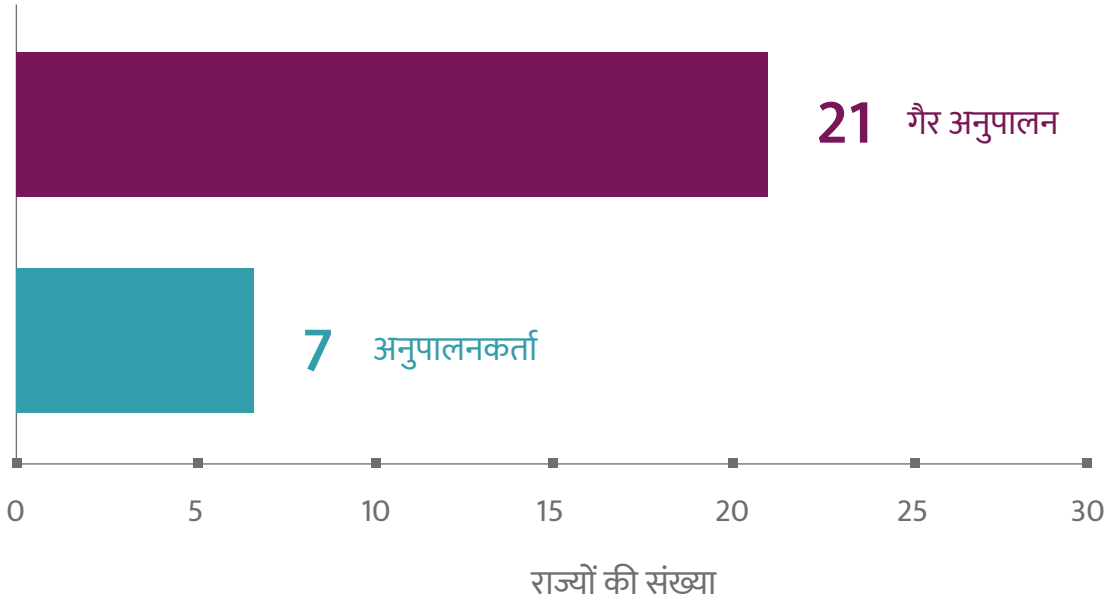

7 राज्य - आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, और नागालैंड - इस निर्देश का पूरी तरह अनुपालन करते हैं।

तालिका 3: प्रमुख क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों के न्यूनतम कार्यकाल पर निर्देश के मामले में राज्यवार अनुपालन की स्थिति

क्रम स0	राज्य	न्यूनतम 2 साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है (1)	समयपूर्व निष्कासन के आधार को स्पष्ट करता है जो साफ और न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई चार शर्तों तक सीमित हो (2)	समग्र अनुपालन
1	आंध्र प्रदेश	हां	हां	अनुपालक
2	अरूणाचल प्रदेश	हां	हां	अनुपालक
3	असम	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
4	बिहार	हां	नहीं	गैर अनुपालक
5	छत्तीसगढ़	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
6	गोवा	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
7	गुजरात	हां	हां	अनुपालक
8	हरियाणा	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
9	हिमाचल प्रदेश	हां*	नहीं	गैर अनुपालक
10	झारखंड	नहीं	हां	गैर अनुपालक
11	कर्नाटक	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
12	केरल	हां	हां	अनुपालक
13	मध्य प्रदेश	हां	हां	अनुपालक
14	महाराष्ट्र	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
15	मणिपुर	हां	हां	अनुपालक
16	मेघालय	हां	नहीं	गैर अनुपालक
17	मिज़ोरम	हां	नहीं	गैर अनुपालक
18	नागालैंड	हां	हां	अनुपालक
19	ओडिशा	नहीं	हां	गैर अनुपालक
20	पंजाब	नहीं	हां**	गैर अनुपालक
21	राजस्थान	हां	नहीं	गैर अनुपालक
22	सिक्किम	हां***	नहीं	गैर अनुपालक
23	तमिल नाडु	हां****	नहीं	गैर अनुपालक
24	तेलंगाना	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
25	त्रिपुरा	हां*****	नहीं	गैर अनुपालक
26	उत्तर प्रदेश	हां	नहीं	गैर अनुपालक
27	उत्तराखंड	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
28	पश्चिम बंगाल	हां	नहीं	गैर अनुपालक
कुल योग		**17**	**10**	**सात राज्य अनुपालक**

* मंडल आईजीपी और रेंज डीआईजी के लिए न्यूनतम कार्यकाल नियम प्रायोज्य नहीं बनाए गए।

** न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में है लेकिन अपवादात्मक मामलों में किसी अधिकारी को स्थानांतरित किया जा सकता है जैसे अकुशलता या लापरवाही या काम की गैर अदायगी या प्राथमिक जांच के आधार पर उसके खिलाफ प्रथम दृष्ट्या गंभीर प्रकृति का मामला पाया जाना।

*** जिला पुलिस अधीक्षकों और थानाध्यक्षों को न्यूनतम कार्यकाल दिया गया और रेंज प्रभारी डीआईजी को छोड़ दिया गया है।

****दो साल का कार्यकाल केवल जिला पुलिस अधीक्षकों, थानध्यक्षों और कमिश्नरेट का नेतृत्व करने वाले अधिकारियों को प्रदान किए जाने तक सीमित है।

***** न्यूनतम कार्यकाल मंडल प्रभारी महानिरीक्षकों और रेंज प्रभारी उप महानिरीक्षकों के लिए अप्रायोज्य है।

प्रमुख टिप्पणियां

• **7 राज्य** - आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, और नागालैंड - इस निर्देश का पूरी तरह अनुपालन करते हैं।

• **16 राज्य** - आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल - दो साल का कार्यकाल प्रदान करने की जरूरत का पालन करते हैं।

• **झारखंड** और **महाराष्ट्र** में कार्यकाल 'साधारण रूप से' या 'आमतौर पर' दो साल है। इसे गैर अनुपालक के बतौर चिन्हित किया गया है क्योंकि यह अनिवार्यता को कमज़ोर करता है।

• **5 राज्य** - असम, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब और उत्तराखंड - केवल एक साल का कार्यकाल प्रदान करते हैं, और सभी पदों के अधिकारियों को नहीं, जैसा कि निर्देश द्वारा अपेक्षित है।

• **4 राज्यों** - हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा - में न्यूनतम कार्यकाल चयनात्मक तरीके से निर्धारित किया गया है और उस तमाम पदों को शामिल नहीं करता जिनका संकेत न्यायालय द्वारा किया गया है।

• **10 राज्यों** - आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा और पंजाब - ने न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को खत्म करने का आधार तैयार करते है।

• **16 राज्य** - असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, बिहार, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक, मिज़ोरम और उत्तराखंड - समयपूर्व निष्कासन का अस्पष्ट और सामान्य आधार बनाते हैं। इनमें शामिल हैं: "किसी अन्य कारणों से या प्रशासनिक आधार पर", "किसी अन्य अनिश्चितता से निपटने के लिए", "जनहित में", "अन्य अधिकारियों की पदोन्नति और सेवा निवृत्ति की दशा में"।

विवेचना और कानून व्यवस्था का पृथकीकरण

4

क. निर्देश क्या कहते हैं

विवेचना और कानून व्यवस्था दोनों पुलिस के महत्वपूर्ण कार्य हैं। विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करने और समग्र प्रदर्शन को उन्नत करने के लिए न्यायालय ने उत्तरोत्तर विवेचना कानून व्यवस्था सम्बंधी शाखाओं के पृथकीकरण का आदेश दिया है जिसकी शुरूआत दस लाख से अधिक आबादी वाले कस्बों और शहरी क्षेत्रों से की जाए। इसमें कहा गया है कि यह पुलिस के कार्य को सरल और कारगर बनाएगा, विवेचना में अधिक गतिमान बनाएगा और जांच कार्य में विशेषज्ञता लाएगा और जनता से घनिष्ठता बढ़ाएगा। न्यायालय ने स्पष्ट नहीं किया कि यह पृथकीकरण धरातल पर कैसे साकार होगा, लेकिन साफ तौर से संकेत करता है पुलिस की दोनों शाखाओं में पूर्ण समन्वय होना आवश्यक है।

ख. प्रमुख टिप्पणियां

यह न्यायालय के निर्णय का चैदहवां साल है। इस स्तर पर निर्देश 4 के अनुपालन का सही तरीके से आंकलन करने के लिए पुलिस के इन दोनों महत्वपूर्ण कार्यों के पृथकीकरण का परीक्षण क्षेत्र स्तर पर करने की जरूरत होगी कि जहां यह निर्देश प्रभावी बनाया गया वहां इसका कार्यचालन कैसा है। चूंकि क्षेत्र स्तर पर आंकलन करना सीएचआरआई के लिए संभव नहीं हो पाया है, हम अनुपालन की "कागज़ पर" की गई टिप्पणियों को फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे आखिरी बार 2018 में संकलित किया गया था; लेकिन इस बार निर्देश 4 से अनुपालन की तुलना नहीं कर रहे हैं।

अप्रैल 2018 तक

• **16 राज्य** - अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिज़ोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमलिनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड; और दिल्ली - ने विवेचना को कानून व्यवस्था के कर्तव्यों से पृथक करने के कुछ उपाय[9] किए थे।

• यह निर्देश **गोवा के लिए प्रायोज्य नहीं है** क्योंकि उसकी कुल आबादी 10 लाख से कम है।

• **12 राज्य** - आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल - इस निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहे हैं।

• **मिज़ोरम** इकलौता राज्य था जिसने अपने पुलिस अधिनियम में साफ तौर से सुनिश्चित किया था कि जिन अधिकारियों को विशेष जांच इकाइयों के लिए निर्धारित किया गया था उन्हें
a) सुरक्षित कार्यकाल दिया गया,
b) विशेषज्ञता प्राप्त करने की अनुमति दी गयी; और
c) डीजीपी[10] की लिखित अनुमति से विशेष परिस्थितियों के अलावा कोई अन्य कर्तव्य सुपुर्द नहीं किया गया।

[9] उन्होंने या तो विषेश अपराधों या चुनिंदा भौगोलिक क्षेत्रों के लिए पुलिस स्टेशन पर विशेष जांच इकायइयां गठित कर ली है।
[10] धारा 15, मिज़ोरम पुलिस अधिनियम 2012।

पुलिस स्थापना बोर्ड

5

क. निर्देश क्या कहते हैं

न्यायालय ने प्रत्येक पुलिस विभाग में डीजीपी और चार वरिष्ठ अधिकारियों पर आधारित पुलिस स्थापना बोर्ड (PEB) गठित करने के लिए निर्देशित किया। पीईबी के कार्य हैं:

i. पुलिस उपाधीक्षक और उसके नीचे के पद वाले पुलिस अधिकारियों के सभी स्थानांतरण, नियुक्तियों, पदोन्नतियों और सेवा सम्बंधी अन्य मामलों पर निर्णय लेना। राज्य सरकार, अपने कारणों को रिकार्ड करने के बाद, बोर्ड के निर्णयों में केवल "विशिष्ट मामलों" में हस्तक्षेप कर सकती है;

ii. पुलिस उपाधीक्षक से ऊपर के पद वाले अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर राज्य सरकार को अनुशंसाएं करना। राज्य सरकार से इन अनुशंसाओं को उचित महत्व देने और सामान्य रूप से उन्हें स्वीकार करने की अपेक्षा की जाती है;

iii. पदोन्नति/स्थानांतरण के निर्णयों, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों, या अवैधानिक आदेशों के संदर्भ में किसी अन्याय के लिए पुलिस अधीक्षक की श्रेणी या उससे ऊपर के पद वाले अधिकारियों के लिए अपील के मंच के तौर पर काम करना; और

iv. सामान्य रूप से राज्य में पुलिस के कार्य की समीक्षा करना।

फलस्वरूप, बोर्ड का अभिप्राय इन महत्वपूर्ण सेवा सम्बंधी मामलों को मुख्य रूप से पुलिस के नियंत्रण में लाना है। खासकर, वरिष्ठ पुलिस नेतृत्व की नियुक्ति और प्रबंधन में सरकार की भूमिका निहित है। राज्य कैडर की श्रेणी के सेवा समबंधी मामलों का विभाग के अंदर आंतरिक रूप से निरीक्षण होना चाहिए जैसा कि पुलिस नियमावली और सेवा नियमों में निर्धारित है। भारत में अनुभव बताता है कि भ्रष्टाचार और पुलिस नियुक्तियों, स्थनानतरण और पदोन्नतियों के निर्णयों में प्रचलित अवैधानिक राजनीतिक हस्तक्षेप के अनुचित संरक्षण को कम करने के लिए इस सीमांकन को व्यवहार में लाना अत्यंत आवश्यक है।

ख. अनुपालन के मानदंड

अनुपालन का आंकलन निम्न मानदंडों के आधार पर किया जाता है।

1) **पीईबी की संरचना:** जिन राज्यों में सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, वहां, निर्देश की मंशा के खिलाफ केवल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक सीमित रहने को गैर अनुपालक के रूप में चिन्हित किया जाता है

2) **पीईबी का अधिदेश:** राज्यों को गैर अनुपालक के तौर पर चिन्हित किया गया है अगर इनमें से किन्हीं कारणों से अधिदेश को सीमित किया जाता है:

i. **पुलिस उपाधीक्षक और उससे नीचेः** स्थानांतरण, नियुक्तियों, पदोन्नतियों और सेवा सम्बंधी अन्य मामलों में फैसला लेने की इसकी शक्तियां अधिकारियों की चुनिंदा श्रेणी तक सीमित है, और उनका विस्तार पुलिस उपाधीक्षक और नीचे के सभी अधिकारियों तक नहीं किया गया है; और स्थानांतरण, नियुक्तियों और पदोन्नतियों के सम्बंध में इसकी शक्तियों को कम कर के अनुशंसात्मक बना दिया गया है।

ii. **पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपरः** पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर की श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संदर्भ में इसकी अनुशंसाओं को सामान्य रूप से राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं माना गया है

3) **अपील का मंचः** उन राज्यों को गैर अनुपालनकारी के तौर पर चिन्हित किया जाता है जहां पुलिस अधीक्षक और उससे बड़े पद वाले अधिकारियों के अपील के मंच के बतौर कार्य करने की शक्तियां पीईबी को नहीं दी जाती हैं।

4) **पुलिस के कार्य की समीक्षा करना:** अगर पीईबी को पुलिस के कार्यों की समीक्षा कार्य की शक्तियां नहीं दी जाती है तो राज्यों को गैर अनुपालक के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुपालन तालिका	अनुपालन	आंशिक अनुपालन	गैर अनुपालन
	सभी 5 मानदंड प्रदान किए गए	मानदंड 1, 2 और 3 प्रदान किए गए	मानदंड 1, 2 या 3 मौजूद नहीं हैं

27 में से केवल दो राज्य - **अरूणाचल प्रदेश** और **कर्नाटक** - बोर्ड की संरचना, कार्य और शक्तियों में निर्देश का पूरी तरह अनुपालन करते हैं।

ग. अनुपालन की स्थिति

चित्र 4: पुलिस स्थापना बोर्ड

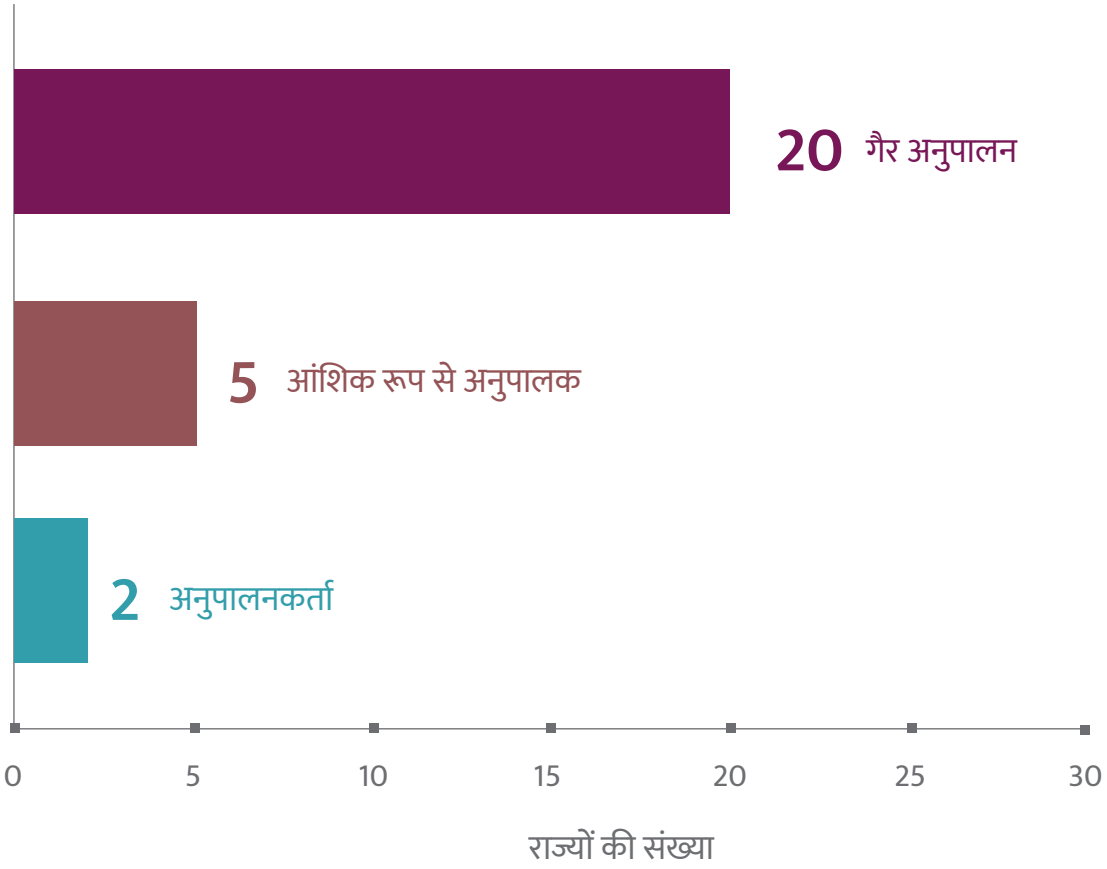

तालिका 4: पुलिस स्थापना बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन

क्रम स0	राज्य	डीजीपी और चार वरिष्ठ अधिकारियों* तक सीमित संरचना (1)	उपाधीक्षक और नीचे के लिए स्थानांतरण/नियुक्ति पर निर्णय लेना (2)	डीजीपी और ऊपर के लिए स्थानांतरण/ नियुक्ति की संस्तुति करना (3)	एसपी और ऊपर के लिए अपील के मंच के बतौर काम करना (4)	पुलिस के कार्य की समीक्षा करना (5)	समग्र अनुपालन
1	आंध्र प्रदेश	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	**आंशिक**
2	अरूणाचल प्रदेश	हां	हां	हां	हां	हां	**अनुपालक**
3	असम	हां	केवल एसआई पद तक के लिए अनुशंसित	नहीं	नहीं	नहीं	**गैर अनुपालक**
4	बिहार	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	**गैर अनुपालक**
5	छत्तीसगढ़	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	**गैर अनुपालक**
6	गोवा	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	**गैर अनुपालक**

क्रम स0	राज्य	डीजीपी और चार वरिष्ठ अधिकारियों* तक सीमित संरचना (1)	उपाधीक्षक और नीचे के लिए स्थानांतरण/नियुक्ति पर निर्णय लेना (2)	डीजीपी और ऊपर के लिए स्थानांतरण/ नियुक्ति की संस्तुति करना (3)	एसपी और ऊपर के लिए अपील के मंच के बतौर काम करना (4)	पुलिस के कार्य की समीक्षा करना (5)	समग्र अनुपालन
7	गुजरात	नहीं**	नहीं (केवल निरीक्षक/ एसआई के लिए)	नहीं	नहीं***	नहीं	गैर अनुपालक
8	हरियाणा	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
9	हिमाचल प्रदेश	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	गैर अनुपालक
10	झारखंड	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	आंशिक
11	कर्नाटक	हां	हां	हां	हां	हां	अनुपालक
12	केरल	हां	नहीं (केवल निरीक्षक पद के लिए)	नहीं	नहीं***	हां	गैर अनुपालक
13	मध्य प्रदेश	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	आंशिक
14	महाराष्ट्र	नहीं**	हां	हां	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
15	मणिपुर	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	आंशिक
16	मेघालय	हां	नहीं (केवल अनुशंसित)	हां	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
17	मिज़ोरम	हां	नहीं (केवल अनुशंसित)	हां	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
18	नागालैंड	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
19	ओडिशा	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
20	पंजाब	हां	नहीं (केवल गैर राज्यपत्रित के लिए अनुशंसित)	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
21	राजस्थान	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
22	सिक्किम	हां	नहीं (अनुमोदित कर रहे, निर्णय नहीं ले रहे)	हां	हां	नहीं	गैर अनुपालक
23	तमिल नाडु	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	गैर अनुपालक
24	तेलंगाना	कोई जानकारी नही					
25	त्रिपुरा	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
26	उत्तर प्रदेश	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	गैर अनुपालक
27	उत्तराखंड	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	आंशिक
28	पश्चिम बंगाल	हां	हां	नहीं****	हां	नहीं	गैर अनुपालक
कुल योग	**27**	**25**	**13**	**14**	**8**	**3**	**दो राज्य अनुपालक**

* संरचना को उन सभी मामलों में अनुपालक माना जाता है जहां यह डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों तक सीमित करती है यहां तक कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा आवश्यक बताए गए 4 से कम शामिल किए गए हों।

** संरचना में सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल करता है।

***एसपी और ऊपर के बजाए उपाधीक्षक और नीचे या निरीक्षक पद तक के लिए अपील के मंच के बतौर काम करता है।

**** उस व्यवस्था को दर किनार कर देता जिसके तहत आम तौर पर राज्य सरकार को पीईबी की अनुशंसा को अवश्य स्वीकार करना चाहिए।

प्रमुख टिप्पणियां

• ध्यान देने योग्य है, **तेलंगाना** के अलावा सभी राज्यों ने कागज पर पुलिस स्थापना बोर्डों को गठित किया है।

• **27** में से केवल **दो राज्य** - अरूणाचल प्रदेश और कर्नाटक - बोर्ड की संरचना, कार्य और शक्तियों में निर्देश का पूरी तरह अनुपालन करते हैं।

• **पांच राज्य** - आंध्र प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड - निर्देश का आंशिक रूप से अनुपालन करते हैं। दूसरे शब्दों में, इन राज्यों द्वारा गठित पीईबी अपनी संरचना (पुलिस प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल करता है) में निर्देश का पालन करती है और पुलिस उपाधीक्षक और नीचे की श्रेणी के स्थानांतरण, नियुक्ति और पदोन्नति और अधीक्षक और ऊपर की श्रेणी के लिए संस्तुति दोनों के लिए अनुमति प्राप्त है जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है। जहां वे पीछे रह जाते हैं वह पीईबी द्वारा अपील के मंच के बतौर काम करने या पुलिस के कार्य की समीक्षा करने को स्पष्ट नहीं करना है जैसा कि निर्देश के मुताबिक आवश्यक है।

• **20 राज्य** गैर अनुपालक हैं। इनमें सेः
- **गुजरात** और **महाराष्ट्र** केवल पुलिस प्रमुख और पुलिस अधिकारियों तक सीमित रखने के बजाए सेवारत सरकारी अधिकारियों को बतौर पीईबी सदस्य शामिल कर के आवश्यक संरचना का उल्लंघन करते हैं;
- **14 राज्य** पुलिस उपाधीक्षक और उससे नीचे की श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण, नियुक्तियों, और पदोन्नतियों के निर्णय की शक्ति पीईबी को नहीं देते हैं (देखें तालिका)। कुछ राज्य इसकी शक्ति को केवल चुनिंदा गैर राज पत्रित श्रेणियों (यह सिपाहियों से ऊपर की श्रेणी होंगी) के लिए निर्णय लेने तक सीमित करते हैं या सरकार के पूर्व अनुमोदन की शर्त लगाते हैं;
- **13 राज्य** पीईबी को पुलिस अधीक्षक पद या उससे ऊपर वालों के स्थानांतरण, नियुक्ति और पदोन्नतियों की अनुशंसा करने की शक्ति नहीं देते हैं; और
- उनमें से **14 गैर अनुपालक** है, इनके अतरिक्त **5 राज्य** आंशिक रूप से अनुपालक हैं यह सभी पीईबी को, अधिकारियों (पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर वालों) को उनकी पदोन्नति/स्थानांतरण/अनुशासनात्म कार्रवाइयों या अवैधानिक या अनियमित आदेशों के अधीन किए जाने के अभ्यावेदनों के लिए अपील के मंच के बतौर सेवा करने का अधिकार नहीं देते हैं।

पुलिस शिकायत प्राधिकरण

6

क. निर्देश क्या कहते हैं

न्यायालय ने एक नया तंत्र सृजित करने का निर्देश दिया है - जनपद और राज्य दोनों स्तर पर एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA) स्थापित किया जाना। इसका अधिदेश पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जनता की तरफ से गंभीर दुव्र्यवहार और खास तरह के दुव्र्यवहार की शिकायतों की जांच पड़ताल करना है।

राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरणः

• इसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सेवा निवृत्त न्यायधीश द्वारा की जाएगी जिसका चयन राज्य के मुख्य न्यायधीश द्वारा प्रस्तावित नामों के पैनल से किया जाएगा।
• अधिदेश: गंभीर दुव्र्यवहार के मामलों की जांच करना जिसमें यह घटनाएं शामिल है (i) मृत्यु, (ii) गंभीर चोट, या (iii) पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के पद वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा हिरासत में बलात्कार।

जिला स्तरीय शिकायत प्राधिकरण:

• इसकी अध्यक्षता सेवा निवृत्त जिला न्यायधीश द्वारा की जाएगी जिसका चयन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश या उनके द्वारा नामज़द किए गए प्रस्तावित पैनल के नामों से किया जाएगा।
• अधिदेशः गंभीर दुव्र्यवहार के मामलों की जांच करना जिसमें घटनाएं शामिल है (i) मृत्यु, (ii) गंभीर चोट, या हिरासत में बलात्कार और धन उगाही, जमीन/मकान हड़पना या पुलिस उपाधीक्षक और नीचे के पुलिस अफसरों द्वारा अधिकार के गंभीर दुरूपयोग का कोई भी मामला।

सामान्य विशेषताएं:

• राज्य मानवाधिकार आयोग/लोकायुक्त/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किए गए पैनल से राज्य सरकार द्वारा चुने गए 3-5 सदस्यों शामिल किया जा सकता है।
सदस्यों में सेवा निवृत्त जनसेवक, पुलिस अधिकारी या किसी अन्य विभाग के अधिकारी या नागरिक समाज के लोग शामिल हो सकते हैं।
• इंटेलिजेंस, सीआईडी और सतर्कता विभाग के सेवा निवृत्त जांचकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
• अपनी जांच पूरी कर लेने पर पीसीए संस्तुति कर सकता है 1) अपराध में लिप्त पुलिस अधिकारी/अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर का पंजीकरण, और/या 2) अपराध में लिप्त पुलिस अधिकारी/अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ करना।
• पीसीए की अनुशंसाएं पुलिस विभाग और राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होनी हैं।

ख. अनुपालन के मानदंड

अनुपालन का आंकलन निम्न मानदंडों के आधार पर किया जाता है।

1) **अध्यक्ष:** जब राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष कोई हाई कोर्ट का सेवा निवृत्त न्यायधीश और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष कोई सेवा निवृत्त जिला न्यायधीश हो तो राज्यों को अनुपालक के रूप में चिन्हित किया गया है।

2) **स्वतंत्र सदस्य:** जब राज्य मानवाधिकार आयोग/ लोकायुक्त/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किए गए पैनल से स्वतंत्र सदस्यों का चयन किया जाता तो राज्यों को अनुपालक के बतौर चिन्हित किया गया है।

3) **बाध्यकारी अनुशंसाएं:** जिला और राज्य दोनों स्तर पर शिकायत प्राधिकरण की अनुशंसाएं बाध्यकारी होती हैं।

4) **स्वतंत्र जांचकर्ता:** अगर स्वतंत्र जांचकर्ता के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं तो राज्यों को गैर अनुपालक माना गया है।

तालिका 5, 6 और 7 के लिए अनुपालन तालिका	अनुपालन	आंशिक अनुपालन	गैर अनुपालन
	सभी 5 मानदंड प्रदान किए गए	मानदंड 1, 2 और 3 प्रदान किए गए	मानदंड 1, 2 या 3 मौजूद नहीं हैं

ग. अनुपालन की स्थिति

चित्र 5: पुलिस शिकायत प्राधिकरण - समग्र

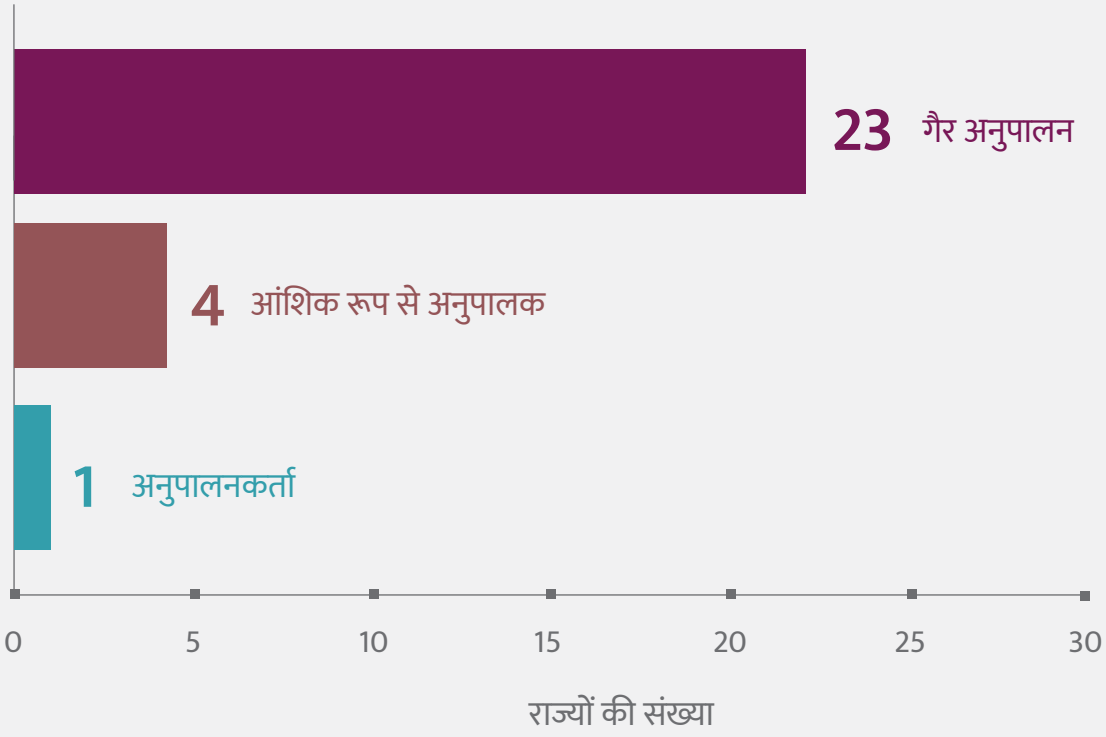

तालिका 5: राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण: अनुपालन

राज्य	सेवा निवृत्त जज के नेतृत्व वाले (1)	सदस्यों की संख्या (2)	चयन के लिए पैनल (3)	अनुशंसाएं बाध्यकारी हैं (4)	स्वतंत्र जांचकर्ताओं का लिए प्रावधान करता है (5)	समग्र अनुपालन
आंध्र प्रदेश	हां	3	हां	हां	हां	अनुपालक
अरूणाचल प्रदेश	हां	3-5	हां	हां	हां	अनुपालक
असम	हां	3	नहीं	हां	नहीं	आंशिक
बिहार	राज्य पीसीए गठित नहीं					गैर अनुपालक
छत्तीसगढ़	हां	3	नहीं	नहीं	नहीं	आंशिक
गोवा	हां	3	नहीं	हां	हां	आंशिक
गुजरात	नहीं*	3	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
हरियाणा	नहीं*	3	हां***	हां	हां	आंशिक
हिमाचल	पीसीए के कार्य अंजाम देने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति करता है					गैर अनुपालक
झारखंड	नहीं**	5	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
कर्नाटक	हां	4	हां	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
केरल	हां	4	हां	हां	नहीं	गैर अनुपालक
मध्य प्रदेश	राज्य स्तर पर पीसीए गठित नहीं					गैर अनुपालक
महाराष्ट्र	हां	4	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
मणिपुर****	हां	कोई सूचना नहीं मिली	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
मेघालय	नहीं	2	नहीं	हां	नहीं	आंशिक
मिज़ोरम	नहीं*	4	नहीं	हां	नहीं	आंशिक
नागालैंड	हां	5	हां	नहीं	नहीं	आंशिक
ओडिशा	लोकायुक्त को राज्य पीसीए के बतौर नियुक्त किया गया					गैर अनुपालक
पंजाब	नहीं*	2	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
राजस्थान	नहीं**	4	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
सिक्किम	हां	2	हां	नहीं	हां	गैर अनुपालक
तमिलनाडु	नहीं	2	नहीं	नहीं	हां	गैर अनुपालक
तेलंगाना	द्विविभाजन के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया					गैर अनुपालक
त्रिपुरा	हां	4	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
उत्तर प्रदेश	कोई पीसीए गठित नहीं किया गया					गैर अनुपालक
उत्तराखंड	हां	4	हां	हां	नहीं	आंशिक
पश्चिम बंगाल	नहीं	4	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
कुल योग: 28	**12**	**-**	**8**	**9**	**6**	**तीन राज्य अनुपालनकर्ता**

* अध्यक्ष या तो सेवा निवृत्त न्यायधीश, या सेवा निवृत्त प्रधान सचिव स्तर का अधिकारी, या सेवा निवृत्त पुलिस महानिदेशक हो सकता था।
** अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र सदस्यों में से है।
*** चयन राज्य सरकार द्वारा गठित की गई राज्य समिति द्वारा है। राज्य समिति का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

तालिका 6: जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण: अनुपालन

क्रम स0	राज्य	सेवा निवृत्त जज द्वारा नेतृत्व (1)	सदस्यों की संख्या (2)	चयन के लिए पैनल (3)	अनुशंसाएं बाध्यकारी हैं (4)	स्वतंत्र जांचकर्ता का प्रावधान किया जाता है (5)	समग्र अनुपालन
1	आंध्र प्रदेश	हां	3	हां	हां	हां	अनुपालक
2	अरूणाचल प्रदेश	कोई जिला पीसीए गठित नहीं किया गया					गैर अनुपालक
3	असम	हां	3	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
4	बिहार	नहीं	4	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
5	छत्तीसगढ़	कोई जिला पीसीए गठित नहीं किया गया					गैर अनुपालक
6	गोवा	कोई जिला पीसीए गठित नहीं किया गया					गैर अनुपालक
7	गुजरात	नहीं	2	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
8	हरियाणा	नहीं	3	हां	हां	हां	आंशिक
9	हिमाचल प्रदेश	नहीं	3	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
10	झारखंड	नहीं	5	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
11	कर्नाटक	नहीं	3	हां	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
12	केरल	हां	2	अप्रायोज्य*	हां	नहीं	गैर अनुपालक
13	मध्य प्रदेश	नहीं	0	नहीं	नहीं	–	गैर अनुपालक
14	महाराष्ट्र	हां	4	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
15	मणिपुर	हां		हां	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
16	मेघालय	कोई जिला पीसीए गठित नहीं किया गया					गैर अनुपालक
17	मिज़ोरम	हां	2	नहीं	हां	नहीं	आंशिक
18	नागालैंड	कोई जिला पीसीओ गठित नहीं किया गया					गैर अनुपालक
19	ओडिशा	कोई जिला पीसीए गठित नहीं किया गया					गैर अनुपालक
20	पंजाब	नहीं	2	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
21	राजस्थान	नहीं	4	नहीं	नहीं	नहीं	गैर अनुपालक
22	सिक्किम	कोई जिला पीसीए गठित नहीं किया गया					गैर अनुपालक
23	तमिल नाडु	नहीं	2	नहीं	नहीं	हां	गैर अनुपालक
24	तेलंगाना	पद द्विविभाजन का कोई आदेश नहीं					गैर अनुपालक
25	त्रिपुरा	कोई जिला पीसीए गठित नहीं किया गया					गैर अनुपालक
26	उत्तर प्रदेश	गठित नहीं					गैर अनुपालक
27	उत्तराखंड	हां	2	हां	हां	नहीं	आंशिक
28	पश्चिम बंगाल	कोई जिला पीसीए गठित नहीं किया गया					गैर अनुपालक
कुल योग: 28		**7**	**-**	**5**	**6**	**3**	**एक राज्य अनुपालनकर्ता**

प्रमुख टिप्पणियां

22 राज्यों ने कागज पर राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (एसपीसीए) गठित किया है, जबकि 17 राज्यों ने कागज पर जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण (DPCA) गठित किया है।

केवल राज्य स्तर पर	**केवल जिला स्तर पर**	**राज्य और जिला स्तरों पर**	**कोई प्राधिकरण नहीं**
अरूणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ गोवा मेघालय सिक्किम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल नागालैंड	बिहार मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश[11]	आंध्र प्रदेश असम गुजरात झारखंड कर्नाटक केरल महाराष्ट्र मणिपुर मिज़ोरम पंजाब राजस्थान तमिलनाडु उत्तराखंड हरियाणा	उत्तर प्रदेश जम्मू और कश्मीर तेलंगाना **लोकायुक्त के सुपुर्द** ओडिशा हिमाचल प्रदेश (राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण)
कुल योग: 8 राज्य	**कुल योग:** 3 राज्य	**कुल योग:** 14 राज्य	**कुल योगः** 3 राज्य (और हिमाचल प्रदेश एसपीसीए)
राज्य एसपीए वाले राज्यों की संख्या: **22 (14+8)** जिला एसपीए वाले राज्यों की संख्या: **17 (14+3)**			

केवल आंध्र प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य है जो राज्य और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों को गठित करने में निर्देश का पूरी तरह अनुपालन करता है (सरकारी आदेश जी0 ओ0 एमएस0 स0 191 दिनांक 8वीं अगस्त 2013)। हालांकि, अनुपालन केवल कागज तक सीमित है। राज्य को अभी राज्य और जिला दोनों स्तरों पर जमीनी स्तर पर पीसीए स्थापित करना है।

हिमाचल प्रदेश और ओडिशा ने राज्य लोकायुक्त को पीसीए के बतौर काम करना सुपुर्द कर दिया है। सीएचआरआई इसे निर्देश का पूरी तरह उल्लंघन मानता है कि यह पूर्ण कालिक, समर्पित, स्वतंत्र पीसीए स्थापित नहीं करता।

कुछ राज्यों ने पीसीए स्थापित करने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश दावा करता है कि इसके पास शिकायतों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त मंच है और नतीजे में मंचों की बहुतायत जनता के दिमाग में भ्रम पैदा करेगी। जम्मू और कश्मीर ने राज्य में सुरक्षा की स्थिति के आधार पर इस निर्देश के क्रियान्वयन को निलंबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।

[11] स्वतंत्र शिकायत निकाय स्थापित करने के लिए सूप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 राज्य पुलिस प्राधिकरण के कार्य को राज्य लोकायुक्त (धारा 93) के सुपूर्द करता है।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण

22 गठित राज्य पुलिस प्राधिकरणों में सेः

9 राज्य प्राधिकरण के नेतृत्व के लिए सेवा निवृत्त न्यायधीश को लेकर विचलित है। कुछ राज्य (**गुजरात** और **हरियाणा**) सवेा निवृत्त न्यायधीश या प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी या यहां तक कि सेवा निवृत्त पुलिस महानिदेशक (**मिज़ोरम** और **पंजाब**) का विकल्प देते हैं। राजस्थान और झारखंड का कहना है कि अध्यक्ष स्वतंत्र सदस्यों में से हो सकता है।

खुला उल्लंघन करते हुए **तमिलनाडु** के गृह सचिव के नेतृत्व में एसपीसीए गठित करता है और प्राधिकरण के सदस्य के तौर पर पुलिस महानिदेशक और अतरिक्त महानिदेशक (कानून व्यवस्था) को शामिल करता है।

8 राज्य - गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और **उत्तराखंड** - कार्यरत पुलिस अधिकारियों को पीसीए के सदस्य के रूप में शामिल करते हैं। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इसे मना नहीं किया है, प्राधिकरण में शामिल सेवारत अधिकारियों को पुलिस के खिलाफ जनता की शिकायतों की जांच का शासनादेश स्वतंत्र बाहरी निगरानी और जवाबदेही के सिद्धान्त को खोखला बनाता है।

केवल 8 राज्य - आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, नागालैंड, सिक्किम और **उत्तराखंड** - पीसीए के स्वतंत्र सदस्यों के चयन के लिए चुनाव पैनल का विवरण देते हैं। अन्य राज्यों में, दूसरे सदस्य या तो पदेन सदस्य है या सीधे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं।

केवल 9 राज्य - आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, केरल, मेघालय, मिज़ोरम, गोवा और **उत्तराखंड** - पीसीए की अनुशंसाओं को बाध्यकारी बनाते हैं।

केवल 6 राज्य - आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, सिक्किम और **तमिलनाडु** - प्राधिकरण को जांचों में सहयोग करने के लिए स्वतंत्र जांचकर्ताओं की नियुक्ति का प्रावधान करते हैं।

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण

गठित किए गए 17 शिकायत प्राधिकरणों में सेः

10 राज्य - बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और **तमिलनाडु** - प्राधिकरण का नेतृत्व करने के लिए सेवा निवृत्त जिला न्यायधीश की आवश्यकता से विचलित होते हैं।

8 राज्यों - बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और **झारखंड** - में सेवारत पुलिस अधिकारी (या तो पुलिस उपधीक्षक, अतरिक्त पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक) जिला प्राधिकरण के सदस्य के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वास्तव में, बिहार, गुजरात, केरल और तमिलनाडु में प्राधिकरण में नागरिक समाज से कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं है।

केवल 5 राज्य - आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मणिपुर और **उत्तराखंड** - स्वतंत्र सदस्यों के चयन के लिए पैनल का प्रावधान करते हैं।
केवल 5 राज्य - आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, मिज़ोरम और **उत्तराखंड** - स्पष्ट करते हैं कि पीसीए की अनुशंसाएं राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होंगी।

केवल 3 राज्य - आंध्र प्रदेश, हरियाणा और **तमिलनाडु** - जांच करने में प्राधिकरण का सहयोग करने के लिए स्वतंत्र जांचकर्ताओं का प्रावधान करते हैं।

सरकार/पुलिस के वर्चस्व वाली समझौतावादी संरचना ने प्राधिकरण को कमज़ोर बना दिया और स्वतंत्र विशेषज्ञता की कमी के चलते पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के पुलिस दुव्र्यवहार और क्रूरता के खिलाफ प्रभावी उपचार के बतौर उभरने की संभावना नहीं होगी।

केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुपालन

सभी केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी भी शामिल है, अधिकांश निर्देशों के प्रति गैर अनुपालक है, जैसा कि निम्न में दर्शाया गया है:

	मानदंड	दिल्ली	अन्य के० शा० प्रदेश	समग्र अनुपालन
निर्देश 1	राज्य सुरक्षा आयोग स्थापित	हां	हां	**गैर अनुपालक**
	नेता प्रतिपक्ष शामिल	हां	नहीं	
	स्वतंत्र सदस्यों की संख्या	5	5	
	स्वतंत्र चयन	हां*	हां*	
	अनुशंसाओं को बाध्यकारी बनाया गया	नहीं	नहीं	
	वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और विधान सभा में प्रषित करना	नहीं	प्रायोज्य नहीं	
निर्देश 2	यूपीएससी द्वारा सूची के संक्षिप्तीकरण को स्पष्ट करता है	नहीं	नहीं	**गैर अनुपालक**
	सेवा निवृत्ति की परवाह किए बिना न्यूनतम 2 साल का कार्यकाल प्रदान करता है	नहीं	नहीं	
	समय पूर्व हटाए जाने के लिए आधार स्पष्ट करता है जो साफ और न्यायालय द्वारा निर्धारित चार शर्तों तक सीमित है	नहीं	नहीं	
निर्देश 3	न्यूनतम दो साल का कार्यकाल प्रदान करता है	हां	नहीं	**गैर अनुपालक**
	समय पूर्व हटाए जाने के लिए आधार स्पष्ट करता है जो साफ और न्यायालय द्वारा निर्धारित चार शर्तों तक सीमित है	हां	नहीं	

	मानदंड	दिल्ली	दमन और दीव, दादर नगर हवेली और लक्षद्धीप	पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्धीप और चंडीगढ़	समग्र अनुपालन
निर्देश 6	सेवा निवृत्त न्यायधीश के नेतृत्व में	हां	नहीं**	नहीं**	**गैर अनुपालक**
	सदस्यों की संख्या	3	0	2	
	चयन के लिए पैनल	हां	अप्रायोज्य	नहीं	
	अनुशंसाएं बाध्यकारी	नहीं***	नहीं	नहीं	
	अनुशंसाएं बाध्यकारी	नहीं***	नहीं	नहीं	

* सदस्यों का चयन अंवेषण समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल से होना है, जिसे इस उद्देश्य के लिए दिल्ली के प्रशासक और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संघ के गृहमंत्री द्वारा गठित किया जाना है।

** अध्यक्ष या तो कोई सेवा निवृत्त न्यायधीश या सेवा निवृत्त जनसेवक अधिकारी हो सकता है।

*** इसे प्रावधान न किए जोन के रूप में लिया जाता है क्योंकि यह कहता है कि अनुशंसाए तब बाध्यकारी होंगी जक तक कि सरकार लिखित कारणों को रिकार्ड कर के प्राधिकरण के निष्कर्षों से असहमत होनो का फैसला नहीं करती है।

प्रमुख टिप्पणियां

• गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिल्ली के लिए एक एसएससी और अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त[12] रूप से गठित किया है। हालांकि, अंवेषण समिति द्वारा तैयार किए गए एक पैनल से गैर- सरकारी सदस्यों का चयन किया गया है, लेकिन गृह मंत्रालय का मेमो समिति की संरचना, बाध्यकारी अनुशंसाओं और वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी पर खामोश है।

• पुलिस प्रमुख के चयन पर गृह मंत्रालय यूपीएससी[13] द्वारा सूची के संक्षिप्तीकरण को नजरअंदाज करता है। कार्यकाल दो साल या उससे अधिक तय किया गया है जो सेवा निवृत्त से बंधा है। संघीय सरकार "कानूनी और प्रशासनिक प्रतिध्वनियों की आशंका वश" कार्यकाल निर्धारित करने के पक्ष में नहीं है ।

• अन्य वरिष्ठ स्तरीय पुलिस कर्मियों का कार्यकाल न्यूनतम दो साल का है लेकिन केवल "जहां तक संभव है"। यह निर्देश के मामले में गैर अनुपालक है।

• पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना पर, भारत सरकार द्वारा 2007 में सुप्रीम कार्ट में दाखिल किए गए हलफनामें के अनुसार, बोर्ड सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गठित कर दिया गया है लेकिन चूंकि हलफनामा इसके शासनादेश के सम्बंध में और विवरण प्रदान नहीं करता है इसलिए इस निर्देश के प्रति अनुपालन का आंकलन संभव नहीं है।

• गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के साथ 2018 में एक सरकारी अधिसूचना में राजधानी शहर के लिए एक स्वतंत्र पुलिस शिकायत पाधिकरण गठित किया था। यद्यपि दिल्ली का पीसीए अपनी संरचना और कार्यों में न्यायालय के निर्देश का पालन करता है, इसकी अनुशंसाओं को स्पष्ट रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया गया है।

[12] गृह मंत्रालय ऑफिस मेमोरैंडम संख्या 140/127/2010 – UTP , दिनांक 10 जनवरी 2011 के अनुसार।
[13] भारत संघ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए शपथपत्र, दिनांक 12.02.2007 के अनुसार

जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अधिनियम को स्वीकार कर लेने बाद जम्मू और कश्मीर दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख[14], में विभाजित और रूपांतरित हो गया, भारत सरकार को अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के आदेश जारी करना शेष है। निम्न सूचना तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुपालन की स्थिति के समबंध में है:

• जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस शिकायत प्राधिकरण और विवेचना को कानून व्यवस्था से पृथक करने के निर्देशों को लागू करने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी:

राज्य सुरक्षा आयोग के मामले में सरकार ने राज्य में विशेष सुरक्षा स्थिति के आधार पर निर्देश को लागू करने से मुक्त करने को कहा था। इसने कहा था कि एसएससी जैसे निकाय को गठित करना सेना, केंद्रीय सुरक्षा अर्ध सैनिक बलों और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली स्थानीय पुलिस के बीच समन्यव प्रणाली को अस्थिर करेगा।

पुलिस शिकायत प्राधिकरण पर सरकार ने आरोप लगाया कि पुलिस शिकायत प्राधिकरणों का निर्माण पुलिस का मनोबल तोड़ने के पुलिस के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराने का विद्रोही 'तत्वों' को मंच प्रदान करेगा। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि राज्य में पहले से एसएचआरसी, सतर्कता आयोग और विभागीय वरिष्ठ जैसे पर्याप्त निगरानी तंत्र मौजूद हैं।

• पुलिस स्थापना बोर्ड के मामले में राज्य सरकार ने पहले दिनांक 06.02.2007 को आदेश जारी किया था और बाद में 19.04.2017 को पिछले आदेश का अतिक्रमण करते हुए आदेश जारी किया। 2017 के आदेश के अनुसार पीईबी डीजीपी और 9 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को मिलाकर बनाया गया था। इसको स्थानांतरण, नियुक्तियां, पदोन्नतियां और पुलिस उपाधीक्षक और उससे नीचे के पुलिस सेवा समबंधी मामलों पर सभी निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। यह एसपी और उससे ऊपर के पदों के लिए संस्तुति की इसकी शक्ति पर खामोश था।

[14] http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/210407.pdf#page=2.

भारत में पुलिस अधिनियमों की स्थिति

क्रम स०	राज्य	सुप्रीम कोर्ट के 2006 के निर्णय के बाद पारित किए गए पुलिस अधिनियम/संशोधित अधिनियम
1	**असम**	असम पुलिस अधिनियम 2007
2	**आंध्र प्रदेश**	आंध्र प्रदेश पुलिस सुधार (संशोधित) अधिनियम 2014
3	**बिहार**	बिहार पुलिस अधिनियम 2007
4	**छत्तीसगढ़**	छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007
5	**गुजरात**	बाम्बे पुलिस (गुजरात संशोधित) अधिनियम 2007
6	**हरियाणा**	हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007; हरियाणा पुलिस (संशोधित) अधिनियम 2014
7	**हिमाचल प्रदेश**	हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007
8	**कर्नाटक**	कर्नाटक पुलिस (संशोधित) अधिनियम 2012
9	**केरल**	केरल पुलिस अधिनियम 2014
10	**महाराष्ट्र**	महाराष्ट्र पुलिस (संशोधित और निरंतरता) अधिनियम 2014
11	**मेघालय**	मेघालय पुलिस अधिनियम 2011
12	**मिज़ोरम**	मिज़ोरम पुलिस अधिनियम 2011
13	**पंजाब**	पंजाब पुलिस अधिनियम 2007
14	**राजस्थान**	राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007
15	**सिक्किम**	सिक्किम पुलिस अधिनियम 2007
16	**तमिलनाडु**	तमिलनाडु पुलिस (सुधार) अधिनियम 2013
17	**त्रिपुरा**	त्रिपुरा पुलिस अधिनियम 2007
18	**उत्तराखंड**	उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007; उत्तराखंड पुलिस (संशोधित) अधिनियम 2018
19	**अरूणाचल प्रदेश**	पुलिस विधेयक मसौदा तैयार लेकिन विधायिका के पटल पर रखा नहीं गया।
20	**गोवा**	गोवा पुलिस विधेयक 2008 राज्य विधायिका में परिचित करवाया गया और समीक्षा के लिए प्रवर समिति को भेज दिया गया। इस विधेयक की समय सीमा 2012 में समाप्त हो गयी। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार संशेधित पुलिस विधेयक का मसौदा तैयार कर रही है।
21	**जम्मू और कश्मीर**	जम्मू और कश्मीर मसौदा पुलिस विधेयक 2013, प्रतिपुष्टि के लिए सार्वजनिक किया गया लेकिन उसके बाद से कोई प्रगति नहीं।
22	**ओडीशा**	ओडीशा पुलिस विधेयक 2015 राज्य विधान सभा से पारित, अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया लेकिन टिप्पणियों के साथ विधान को वापस कर दिया गया।
23	**पश्चिम बंगाल**	पुलिस विधेयक का मसौदा 2007 में तैयार किया गया लेकिन पटल पर रखा नहीं गया। उसके बाद से कोई प्रगति नहीं।
झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश और नवीनतम राज्य तेलंगाना में पुलिस विधेयक का मसौदा तैयार करने के प्रयास किए गए हैं जो आज की तारीख तक आगे नहीं बढ़ पाए।		
केंद्र शासित प्रदेश		
1	**चंडीगढ़**	पंजाब पुलिस अधिनियम को 2007 को 2010 में अपनाया
2	**दिल्ली**	पुलिस विधेयक का मसौदा 2010-11 में तैयार किया गया लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 लागू है।
अन्य केंद्र शासित प्रदेशों - दमन और दिउ, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप, दादर और नगर हवेली, और पुडुचेरी- का पुलिस अधिनियम 1861 द्वारा संचालन जारी है।		

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative